Order Sheet

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक - 689/2026 राज्य विरूद्ध मंजित टेकाम

Date of order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.05.2026	**प्रकरण नेशनल लोक अदालत की इस खण्डपीठ क्रमांक 01 के समक्ष पेश किया गया।** सुलहकर्ता सदस्य क्र. 01 अधिवक्ता श्री तिरथ लाल डिक्सेना एवं सदस्य क्र. 02 अधिवक्ता सुश्री रीमा वर्मा उपस्थित। राज्य की ओर से कोई नहीं। **प्रार्थी/आहत परदेशी राम टेकाम उपस्थित।** **अभियुक्त मंजीत टेकाम उर्फ देव कुमार टेकाम सहित अधिवक्ता श्री योगेश जायसवाल ।** प्रकरण में प्रार्थी/आहत व अभियुक्त के द्वारा एक आवेदन धारा- 359 भा.ना.सु.सं. 2023 के तहत अभियुक्त से राजीनामा की अनुमति प्रदान किए जाने बाबत पेश किया गया। उक्त आवेदन पर आहत व अभियुक्त के पक्ष को सुना गया एवं आहत/प्रार्थी से राजीनामा स्वेच्छा पूर्वक किए जाने बाबत पूछताछ कर संतुष्टि प्राप्त की गई। **प्रार्थी/आहत परदेशी राम टेकाम** की पहचान प्रकरण में संलग्न फोटो से मिलान कर की गई तथापि उसे **श्री योगेश जायसवाल अधिवक्ता** ने भी पहचान किया है। प्रकरण में प्रार्थी ही घटना के आहत है जो स्वयं वयस्क होकर राजीनामा करने हेतु सक्षम है। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आहत/प्रार्थी के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 296, 351(3) एवं 115(2) के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्य किसी अपराध का गठन अभियोग पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन से नहीं होता है। धारा- 351(3) एवं 115(2) भा.न.स. 2023 का अपराध बिना न्यायालय की अनुमति से प्रार्थी/आहत द्वारा शमनीय है। प्रकरण में धारा 351(3) एवं 115(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 359 के तहत	

	राजीनामा योग्य है एवं अविभाजित मध्यप्रदेश संशोधन (प्रभावी दिनांक 21/5/99) के अनुसार धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता 1973 शमनीय बनाया गया था उक्त अधिसूचना/ संशोधन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531(2) की उपधारा (ख) के अनुसार वर्तमान प्रकरण की3 धारा 296 को शमनीय बनाती है। **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531(2) की** उपधारा (ख)- उक्त संहिता के अधीन प्रकाशित सभी अधिसूचनाएँ, जारी की गई सभी उद्घोषणाएँ, प्रदत्त सभी शक्तियाँ, नियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप, परिनिश्चित सभी स्थानीय अधिकारिताएँ, दिए गए सभी दंडोदेश, किए गए सभी आदेश, नियम और ऐसी नियुक्तियाँ, जो विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्तियाँ नहीं है और जो इस संहिता के प्रारंभ के तुरंत पुर्व प्रवर्तन में है, क्रमशः इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन प्रकाशित अधिसूचनाएँ, जारी की गई उद्घोषणाएँ, प्रदत्त शक्तियाँ, विहित प्रारूप, परिनिश्चित स्थानीय अधिकारिताएँ, दिए गए दण्डादेश और किए गए आदेश, नियम और नियुक्तियाँ समझी जायेगी । प्रार्थी/आहत द्वारा स्वेच्छा पूर्वक बिना दबाव के राजीनामा करना बताया गया है । उसके द्वारा आपस में अब कोई विवाद शेष न होना बताया है। अतः राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में धारा 296, 351(3) एवं 115(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के दर्ज आपराधिक प्रकरण शमनीय प्रकृति के होने से अभियुक्त को 359 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के पालन में प्रार्थी/आहत के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लेने के फलस्वरूप **अभियुक्त मंजीत टेकाम उर्फ देव कुमार टेकाम** को धारा 296, 351(3) एवं 115(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराध से राजीनामा के आधार पर "**दोषमुक्त**" किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक नग लकड़ी का डण्डा मूल्यहीन होने के कारण विधिवत नष्ट किया जावे । अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त कर उसे जमानत मुचलके	

	की शर्तो से उन्मुक्त किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पेश जमानत मुचलका भारमुक्त किया जाता है । प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में निराकृत किया गया। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे। **सही/-** **(कु. शोआ मंसूर)** **सदस्य क्रमांक 1** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** **तिरथ लाल डिक्सेना** **पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)** **एवं** **पीठासीन अधिकारी** **सदस्य क्रमांक 2** **खण्डपीठ क्रमंक-1** **रीमा वर्मा** **नेशनल लोक अदालत पाली,** **जिला-कोरबा (छ.ग.)**	